स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं.: 52/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/2016 दिनांक: 4 अक्तूबर, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय: डाक मतपत्रों द्वारा मतदान- अतिरिक्त अनुदेश - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जब किसी निर्वाचक को डाक मतपत्र जारी किया जाता है, चाहे वह सेवा मतदाता हो, निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ या डाक मतपत्र के लिए पात्र किसी भी श्रेणी का निर्वाचक हो तो रिटर्निंग अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे डाक मतपत्र के साथ दो लिफाफे (फार्म 13ख तथा 13ग), निर्वाचक द्वारा फार्म 13क में घोषणा के लिए फार्मेट तथा फार्म 13घ में निर्वाचकों के लिए अनुदेश जारी करें।

2. निर्वाचक को डाक मतपत्र में मत चिह्नित करना है, चिह्नित डाक मतपत्र को फार्म 13ख में लिफाफे में डालना है और इसे बंद करना है, फार्म 13क में घोषणा भरनी है, सक्षम व्यक्ति से इसे सत्यापित कराना है, एवं घोषणा (फार्म 13क) तथा चिह्नित डाक मतपत्र वाले छोटे लिफाफे (फार्म 13ख) को बड़े लिफाफे (फार्म 13ग) में रखना है, बंद कर देना है और लिफाफे (फार्म 13ग) को रिटर्निंग अधिकारी को वापस भेजना है। यह प्रक्रिया मतदान स्टॉफ द्वारा सुविधा केन्द्र पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए भी लागू होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकारियों/कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी किए जाने से पूर्व उनसे फार्म 12 में आवेदन प्राप्त कर लिए जाएं।

3. उपर्युक्त छोटे लिफाफे (फार्म 13ख) पर डाक मतपत्र की क्रम संख्या लिखने का कॉलम है। ऐसे मामले होते हैं जहां यह कॉलम नहीं भरा जाता है तथा परिणामस्वरूप, ऐसे लिफाफे में रखे गए मतपत्र, मतों की गणना के समय निरस्त कर दिए जाते हैं।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस आधार पर डाक मतपत्र निरस्त न हों, आयोग ने निदेश दिया है कि फार्म 13ख में डाक मतपत्र की क्रम संख्या लिखने के लिए, उपर्युक्त कॉलम स्वयं रिटर्निंग अधिकारियों के स्टॉफ द्वारा निर्वाचक को डाक मतपत्र भेजने से पूर्व भरा जाएगा। इस कार्य

को सौंपे गए स्टॉफ को यह अनुदेश दिया जाना चाहिए कि वे क्रम संख्या भरते समय अधिक सावधान रहें ताकि सही प्रकार से क्रम संख्या प्रविष्ट की जा सके। मतदान कर्मी द्वारा सुविधा केन्द्र में मतदान करने के मामले में, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि वे मतपत्र पर विधिवत रूप से क्रम संख्या प्रविष्ट करें (फार्म 13ख) ताकि इस आधार पर मतपत्र निरस्त न हो।

5. आयोग के उपर्युक्त निदेश को सभी रिटर्निंग अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों के नोटिस में लाया जाए।

6. कृपया पावती दें।

भवदीय,

(एन.टी. भुटिया)
अवर सचिव